In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract):	Not applicable	Consultation with Union Public
Officers under the Central Government or	Tros approacts	Service Commission is necessary
State Government or Union Territories or		for filling up the post on deputation
statutory bodies, Public Sector		Including Short Term Contract
Undertakings, Universities, recognised		basis.
research institute:-		
(a) (i) holding analogous posts on regular		
basis in the parent cadre or Department;		
or	·	
(ii) with two years service in the grade		_ []
rendered after appointment thereto on		
regular basis in level-7 (Rs. 44900-		
142400) or equivalent in parent cadre or		# 1.T
Department,		
and		
(b) possessing the following qualifications		
and experience-		
(i) M.Sc. Degree in Microbiology or		
Bio-chemistry or Bio-Technology or		
B.Pharma or B.Tech. (Bio-Technology)		
from a recognised University or institute.		
(ii) Three years experience in handling		
of supply chain of a Biologicals or		
Pharamacuticals products from a		
recognised institute.		
Note 1: Period of deputation including		
period of deputation in another Ex-cadre		
post held immediately preceding this	•	,
appointment in the same or some other		·
Organisation/ Department of the Central		
Government shall ordinarily not exceed		
three years.		·
Note2: The maximum age-limit for	\$	
appointment by deputation shall be not		
exceeding 56 years as on the closing date of		
the receipt applications.	<u> </u>	<u> </u>

[F. No. A-12018/07/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सा. का. नि. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) (समूह 'क'पद), भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सहायक निदेशक (गैर- चिकित्सा)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100- 1,77,500 रु.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए एक अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	•	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन या सूक्ष्मजीव –िवज्ञान में एम	आयु – लागू नहीं होता । शैक्षिक अहर्ता- लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी

एस सी या एम वी एस सी			या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं
डिग्री ।		•	अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष
अनुभव :			या इससे अधिक अवधि के लिए
वर्तमान उत्तम विनिर्माण			बाहर रहने के कारण हुई
अभ्यास विनियमों और			रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के
मार्गदर्शक सिद्धांतों जिसके			अधीन ऐसे अधिकारियों में से
अंतर्गत अपेक्षित प्रलेखन को			प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी
तैयार करना और उनका		·	जा सकेंगी :-
अनुरक्षण भी है, के साथ मानक		,	(क)(i) जो मूल काडर या
जैविक उत्पादों के विनिर्माण			विभाग में नियमित आधार पर
या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव			सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
रसायन या प्रतिरक्षा विज्ञान के	·	÷ .	(ii) जिन्होंने स्तर 8 (47,600-
क्षेत्र में अनुसंधान में तीन वर्ष			1,51,100 रू.) में नियमित
का अनुभव हो।			
वांछनीय अर्हता :-	·		आधार पर नियुक्ति के पश्चात्
किसी मान्यताप्राप्त			उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की
विश्विवद्यालय या संस्थान से			हो; और
जैव-रसायन या सूक्ष्म जीव			(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के
विज्ञान या प्रतिरक्षा-रसायन			अधीन सीधी भर्ती किए जाने
में पी एच डी।			वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक
,		<u> </u>	अर्हताएं और अनुभव हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) लागू नहीं होता	(12) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
	 उप महानिदेशक (जन स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला	

[फा. सं. ए.-12018/08/2018-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 2020

- G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Non-Medical) in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Deputy Assistant Director (Non-Medical) (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— T he method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.--No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Assistant Director (Non- Medical).	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non- Ministerial Gazetted. Group 'A' Post.	Level - 10, in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)	Not applicable	35 years (Relaxable for the Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the agelimit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: M.Sc. or M.V.Sc. degree in Bio Chemistry or Microbiology from a recognized University. Experience: Three years experience in manufacturing of human biological products or in research in the field of medical Microbiology or Virology or Bio-chemistry or	Age: Not applicable. Education Qualification: Not applicable.	One year	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filed up on deputation basis from officers under the Central Government; (a) (i) holding analogous post

Immunology along with	on regular basis in the parent
experience in Current Good	cadre or department; or
Manufacturing Practices	(ii) with two years service
regulations and guidelines	in the grade rendered after
including experience of	appointment thereto on
preparing and maintaining	regular basis in posts in
required documentation.	level-8 (Rs. 47,600-
Desirable Qualification:	1,51,100)and
Ph. D in Bio-chemistry or	(b) Possessing the
Microbiology or Immuno-	educational and experience
chemistry from a recognised	as prescribed for direct
University or Institute.	recruits under column (7).

In case of recruitment	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in
by promotion or		which Union
deputation or		Public Service
absorption, grades		Commission is to
from which promotion		be consulted in
or deputation or		making
absorption to be made		recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation)	Consultation with
	consisting of:-	the Union Public
	1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. — Chairman	Service
	2. Deputy Director General (Public Health), Directorate General of Health	Commission is
	Services. —Member	necessary.
	55177655	
;	3. Director, Directorate General of Health Services looking after the work	
	of BCG Vaccine Laboratory. — Member	-
	4. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai. — Member	

[F. No. A-12018/08/2018-EPI] G. K. PILLAI, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर, 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 87.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 एवं 2016 के अधिक्रमण में, अब तक, सहायक, विरष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. लघु शीर्षक और आरंभ .— इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव) भर्ती नियम, 2020 कहा जाए।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि .— उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।